

भारत में प्राथमिक शिक्षा का एक परिदृश्य

रानू शर्मा¹, जनार्दन गुप्ता²

¹ एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, के.ए. कॉलेज, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

² समाजशास्त्र विभाग, के.ए. कॉलेज, कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

हमारे देश भारत में आज प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, इसमें क्या दोष आ गये हैं सरकार की ओर से इसमें गुणात्मक सुधार हेतु क्या-क्या याजेनाएँ चलाई जा रही हैं, विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की क्या उपलब्धता है। कक्षा-कक्ष शिक्षण-अधिगम में क्या गुणात्मकता लाई जा सकती है। प्रस्तुत भाष्य आलेख में शोधार्थिनी ने इन्हीं प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की है। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा एक ऐसी नींव है जिस पर हमारा जीवन रूपी महल खड़ा होता है वर्तमान समय में मूल्य आधारित शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जा रहा है। विद्यार्थी जीवन बड़ा ही कोमल होता है वह ऐसा संगीत होता है जिसकी धुन आगे चलकर एक अनुठा संगीत बन जाती है। वर्तमान समय में देश की आर्थिक समृद्धि में मानवीय क्षमताएँ एवं योग्यताओं को महत्व दिया जाता है। इन मानवीय क्षमताओं और योग्यताओं को सुधारने का कार्य शिक्षा की सहायता से किया जाता है। वर्तमान समय में योग्य अध्यापकों एवं शिक्षण अधिगम की उपयुक्त व्यवस्था का होना अति आवश्यक है।

भारत के लोगों में शिक्षित होने की चाहत आजादी से पहले से ही रही है। शिक्षा को क्षमताओं में अभिवृद्धि स्वतन्त्रता का विस्तार हर तरह के भेदभाव-शोषण के प्रतिकार करने का उपकरण माना जाता है। शिक्षा की निरपेक्ष उपयोगिता के कारण उसे मानव अधिकारों में सम्मिलित किया जाता है। परन्तु समान रूप से महत्वपूर्ण शिक्षा की उपकरणात्मक उपयोगिता है इसी वजह से विकास की वैकल्पिक अवधारणा जो मानव विकास के रूप में जानी जाती है, में शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। वास्तव में शिक्षा समाज का एक भाग है। आज आर्थिक समृद्धि के मूल में प्राकृतिक संसाधनों के स्थान पर मानवीय क्षमताओं एवं योग्यताओं ने जगह ले ली है। मानवीय क्षमताओं में सुधार परिष्करण की प्रक्रिया निःसन्देह विद्यालयों से हो कर गुजरती है परन्तु यदि विद्यालयों में शिक्षकों तथा शिक्षण-अधिगम की उपयुक्त व्यवस्थाओं की कमी है। तो विद्यालयों में योग्य एवं मूल्यवान प्रतिभाओं का सृजन सम्भव नहीं हो सकता है। प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत आलेख में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में आधुनिक परिवर्तन कैसे हो।

मूल शब्द: प्राथमिक शिक्षा, शिक्षण-अधिगम, मानवीय क्षमताएँ एवं योग्यताओं, गुणात्मक सुधार

शिक्षा समाज का एक संस्थागत भाग है वह समाज में तीन प्रमुख कार्य करती है। प्रथम वह आधुनिक समाज का विश्लेषण करती है। द्वितीय वह उभरते हुए समाज को चिन्हित करती है। तृतीय उन समस्त शक्तियों को पहचानती है और मजबूती प्रदान करती है जो उभरते हुए समाज को साकार कर सके। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उत्तम शिक्षा ग्रहण करके ही व्यक्ति समाज का उत्तरदायी घटक बनता है। शिक्षा से ही व्यक्ति सही रूप में चिंतन करना सीखता है। शिक्षा समाज का दर्पण है बच्चे के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के द्वारा ही हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फूल खिल उठता है तथा सूर्य अस्त होने पर कुम्हला जाता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल की तरह खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता तथा शोक एवं कष्ट के अन्धकार में डूबा रहता है। प्रस्तुत लेख के माध्यम से यह बताया गया है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय हाने के बाद भी प्रत्येक अभिभावक अपने छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना पसन्द करते हैं ऐसा क्यों है! अभिभावकों का मानना है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती शिक्षकों की संख्या कम है या भौतिक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बालक कितना सीख रहे हैं। यह पता लगाने के लिए बहुत से बच्चों से पता किया तो 12 प्रतिशत बच्चों घड़ी देखकर समय सही नहीं बता रहे तो 10 प्रतिशत बच्चे ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी कमजोर बुनियादी पर कौशल और ज्ञान की भव्य इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा की गुणवत्ता का कोई आंकलन और फीस का

कोई सही तथ्य उपलब्ध नहीं होता है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी ने शिक्षा की स्थिति को और सोचनीय बना दिया है। वर्तमान समय में हमारे प्राथमिक विद्यालय मात्र निर्धन एवं सामाजिक रूप से अपवंचित वर्गों के बच्चों के विद्यालय बनकर रह गये हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को कैसे बढ़ावा दें।

प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ प्रारम्भिक, मुख्य प्रथम है, इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ प्रारम्भिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। इसे प्राथमिक शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बालकों को प्रारम्भ में दी जाती है। मुख्य शिक्षा इसलिए है अगली कक्षा की नींव होती है। प्राथमिक शिक्षा बालक की प्रथम सीढ़ी है। बालक शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण करता है। यह वह शिक्षा है जिसके आधार पर बालक भविष्य का निर्माण करता है। प्राथमिक शिक्षा बालक की वह नींव है जिस पर महल रूपी विस्तृत शिक्षा खड़ी होती है। प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता का प्रभाव बालकों के भविष्य पर भी पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा होती है। जिसमें बच्चों को पढ़ना लिखना तथा गणित सिखाया जाता है।

भारतीय अनुच्छेद 45 के अनुसार: राज्य इस सविधान के प्रारम्भ (26 जनवरी 1950) से 10 वर्ष की अवधि में सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान का प्रयास किया और मौलिक शिक्षा ग्रहण करना मौलिक अधिकार का प्रावधान कर दिया गया है। 86 संवैधानिक संसोधन (दिसम्बर 2002) के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सविधान में शामिल कर लिया गया। अब

अनुच्छेद 21 के बाद नया अनुच्छेद 21। के रूप में जोड़ दिया गया है। जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य होगा।

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक प्राथमिक शिक्षा हमारी नींव है इसलिए हमें अपनी नींव को मजबूत बनाकर चलना होगा। आज हमारी प्राथमिक शिक्षा में अनेक कमियाँ हैं। सबसे पहले तो इसकी गुणवत्ता में ही कमी है। प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसके सुधार के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नवीन व्यापक दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बनाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए अध्यापकों कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियों छात्रों में ज्ञान का मूल्यांकन एवं विद्यालयी संरचना व विद्यालयी प्रभावशीलता से जुड़े मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है। आज देश के लगभग (14.5) लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.47 करोड़ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रारम्भ में बच्चे अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते थे जिसके कारण शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन होता है। आज भी प्राथमिक स्तर पर यह स्थिति 16 प्रतिशत बनी हुई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में विद्यालय से बाहर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 135 लाख से घटकर 2015 तक 61 लाख हो गई है। भारत ने स्कूल में निष्पक्षता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित करने में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्ट में सामने आया है कि कक्षा पांच में पढ़ने वाले आधे बच्चे प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाए जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने एक उद्बोधन (मन की बात) में गुणवत्ता के महत्व पर इन शब्दों पर जोर दिया था। “अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किन्तु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। “मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घोषणा की थी कि “देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।” स्कूलिंग की बजाय ज्ञानार्जन पर ध्यान स्थानान्तरित करने का अर्थ इनपुट के नतीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में काफी सफलता पाई है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा जैसे –

1. अध्यापक: शिक्षा में सुधार का दावा करने के बावजूद देशभर में शिक्षकों के लगभग नौ लाख पद हैं। पिछले कुछ वर्षों में सुधार तो प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। फिर भी इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। उत्तर प्रदेश में 1,74,666 पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं तो उत्तराखण्ड में 7,676 पद, गुजरात में 24,841 पद, मध्य प्रदेश में 63,851 पद, झारखण्ड में 73,793 पद, छत्तीसगढ़ में 43,100 पद, पश्चिम बंगाल में 85,835 पद, राजस्थान में 37,522 पद, असम में 39,522, बिहार में सबसे ज्यादा 2,03,650 पद खाली हैं। स्रोत—एडब्ल्यूपीएडबी (AWUPANDB) 2016—17, संसद में 5 दिसम्बर 2016 को केन्द्र सरकार का जवाब। शिक्षकों की कमी का सबसे बुरा असर यह है कि अधिकांश शिक्षक मल्टीग्रेड टीचिंग (एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना) के लिए मजबूर हैं। इन कक्षाओं में पढ़ाना कम और बच्चों को एक साथ बिठाकर किसी तरह स्कूल का समय पूरा करना अधिक होता है। समस्या यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। जबकि उपलब्ध शिक्षक जब स्कूलों से प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। तो समस्या तब गम्भीर विकट रूप धारण कर लेती है। विश्व बैंक के द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में औसतन 25 प्रतिशत अध्यापक स्कूल से

अनुपस्थित रहते हैं। सबसे गम्भीर स्थिति उस समय खड़ी होती है जब सरकार अध्यापकों को अतिरिक्त कार्यों में लगा देती है। जैसे—जनगणना में ड्यट्टी, चुनाव में ड्यट्टी, पल्स पोलियो में ड्यट्टी आदि। हमारे देश में अध्यापकों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता जिससे वे सही तरह से शिक्षण कार्य नहीं करते हैं। इससे शिक्षण कार्य बाधित होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है। जहाँ बच्चे विद्यालय शिक्षा का केन्द्र होते हैं। बच्चों में ज्ञान प्रदान एवं सुनिश्चित करने में एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के समय ही प्रारम्भिक कक्षाओं में अध्यापकों के 19.48 पदों का सृजन किया गया है। आज भी ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक बहुत ही कम हैं। वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में नियमित अध्यापकों में से 85 प्रतिशत व्यवसायिक रूप से योग्यता सम्पन्न हैं। 20 राज्यों में सभी अध्यापकों के पास अपेक्षित योग्यता है। सरकार सभी अध्यापकों के पूरी तरह दक्ष होने के लिए प्रभावशाली कदम उठा रही है। मंत्रालय द्वारा 2014 में करवाये गये एक अध्ययन के परिणामों के अनुसार अध्यापकों की औसत उपस्थिति लगभग 83: थी इसको बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। जरूरत है कि विद्यालयी तंत्र प्रभावशाली युवाओं को अध्यापन के क्षेत्र में लाए। समय पर अध्यापकों को वेतन दे व उनको अनावश्यक कार्यों में न लगाए और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दें।

2. विद्यालय की प्रभावशीलता: विद्यालयों की प्रभावी ढंग से प्रदर्शन के लिए विद्यालय प्रमुख का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्रधानाचार्य एक अलग कैडर बनाने की सलाह दी। भविष्य में विद्यालयों के प्रमुखों को प्रशिक्षण देने के लिए एनयुपीए (NUPS) पर राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र ने एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया है। जिसे पूरे देश में वर्तमान में लागू किया जा रहा है। नवम्बर 2016 में इसे लागू कर दिया गया है। विद्यालयों का विभिन्न आयामों में निरन्तर मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है जिससे सुधार की आवश्यकता का समावेशन किया जा सके। गुजरात में गुणोत्सव, मध्य प्रदेश में प्रतिभा पर्व, राजस्थान में सम्बलन और उड़ीसा में समीक्षा जैसी पहले से बेहतर उदाहरण हैं। अपनी सुधार योजनाओं को चलाने और उन्हें बनाने के लिए विद्यालयों के द्वारा आत्म मूल्यांकन का उपयोग किया जायेगा।

3. कक्षा कक्ष में अपनायी जाने वाली कार्य विधियाँ: बच्चों में ज्ञान की समझ विकसित करने कक्षा कक्ष प्रबंधन प्रभावी छात्र शिक्षक संवाद संरचित अध्यापन एवं सीखने पर जोर देने वाली गतिविधियों के दृष्टिकोण से इन कार्य विधियों को सर्वाधिक महत्व है। इसके लिए कक्षा में छात्रों तथा अध्यापकों को नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय के लिए शिक्षण परिणामों में ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ के साथ पठन के लिए अध्ययन के महत्व पर बल देने के एक प्रारूप के साथ वर्ष 2014 में सरकार के द्वारा शुभारम्भ किये गये पढे भारत बड़े भारत हेतु मजबूत भारत की बुनियाद की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को रोचक एवं लोकप्रिय बनाने के क्रम में सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारम्भ किया। द नेशनल रिपाजेटरी ऑफ आपन एजुकेशन रिसोर्सिस (एनआरआईआर) और हाल ही में प्रारम्भ किया गया ई—पाठशाला विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी डिजिटल और डिजिटल योग्य संसाधनों को एक साथ मंच पर ला रहा है।

4. **मूल्यांकन और आंकलन:** एक छात्र की अध्ययन प्रगति का आंकलन करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है। कक्षा में छात्रों के नियमित और निरन्तर मूल्यांकन से अभिप्राय बच्चों और माता-पिता को प्रतिक्रिया देना हमें मूल्यांकन करना है। इसमें सुधार किया जा सकता है। छात्र अपने अध्ययन में कितनी प्रगति कर रहे हैं। इसके लिए कक्षा के व्यापक स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण को भी जानने की आवश्यकता होती है। सरकार ने एक प्रक्रिया की शुरुआत की है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जायेगा। इसमें सरकारी विद्यालयों सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय एवं निजी सभी शामिल हैं। विद्यालयों से प्राप्त परिणामों के आधार पर सीखने के स्तर को सुधारने के लिए विद्यालय याजेना बनायेगें। इस तरह शिक्षण परिणामों को सुधारने का माहौल तैयार होगा। शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रिया शीघ्रता से मिलेगी जिससे शिक्षण संस्थाओं में सुधार होगा जिससे पाठ्यक्रम निर्माताओं, प्रशिक्षण संस्थानों शैक्षिक प्रशासकों को एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रदान कर सके। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है और छात्रों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन होगा।

5. **अभिभावकों का दृष्टिकोण:** शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता की कमी का प्रमुख कारण यह भी है कि माता-पिता और समुदाय शिक्षा का सारा काम शिक्षकों पर ही छोड़ देते हैं। वे यह भी चिन्ता नहीं करते कि स्कूल या कक्षा के अन्दर क्या हो रहा है। शिक्षक कुछ पढ़ा भी रहे हैं या नहीं। ग्राम समितियाँ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने को आज तक नहीं समझ पायी हैं। ये समितियाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजने पर बल देती हैं या अति गरीब बच्चों के माता-पिता को समझाती हैं कि बच्चे को स्कूल भेज दिया जाए। अभिभावक भी यह सोचते हैं कि बच्चे को बड़ा होकर अपना जीवन यापन ही तो करना है। इसके लिए पढ़ाई ज्यादा आवश्यक नहीं है। सबसे पहले तो माता-पिता को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा तभी जाकर प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।

6. **भौतिक सुविधाएँ:** भारत में कहीं-कहीं पर तो भौतिक सुख सुविधाएँ भी प्राथमिक स्कूलों में नहीं हैं जिसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है। जैसे-इन राज्यों में कितने प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में है ये सुविधाएँ यदि सरकारी स्कूलों में संसाधनों की बात की जाए तो 60 हजार स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हजारों स्कूलों में केवल एक ही क्लासरूम है। पचास फीसदी स्कूलों में पर्याप्त बिजली नहीं है, पंखे नहीं हैं तो बल्ब भी नहीं हैं। आलेम्पिक में स्वर्ण पदक का सपना देखने वाले देश के पास दस स्कूलों में से चार के पास खेल के मैदान नहीं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट पर नजर डाले तो 69 प्रतिशत विद्यालयों में उपयुक्त शौचालय नहीं है। 21 प्रतिशत स्कूलों में मौसम के अनुसार अनुकूल भवन भी नहीं है। इसकी तरह ही कहीं प्राथमिक विद्यालयों में बैठने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। कहीं तो बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को तैयार हैं। जिससे उनके विकास पर कुप्रभाव भी पड़ सकता है।

7. **सामुदायिक भागीदारी:** एक व्यापक और विविधता से भरे देश में निर्णय लेना और जवाब देही का विकेंद्रीकरण ही सफलता की कुंजी है। विद्यालय शिक्षा के मामले में समुदाय विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय समितियों को अच्छे कार्य करने हागें और मजबूती के साथ बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालय की जवाब देही पर भी अपना नियंत्रण कर सके। विद्यालयों के साथ-साथ इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष

विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सबसे पहले अध्यापक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यापक प्रशिक्षण, व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालयों में बदलकर इसकी गुणवत्ता में ओर भी सुधार लाया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखकर भी शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। अभिभावकों के साथ-साथ समुदाय को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। छात्रों के दैनिक मूल्यांकन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक का होना भी आवश्यक है। समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण होना भी जरूरी है तभी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

सन्दर्भ

1. इडिया टुडे मासिक पत्रिका, नोएडा, नवम्बर 2017
2. शर्मा, आर.ए., भारतीय शिक्षा का विकास, 2007
3. आधुनिक भारतीय शिक्षा, अप्रैल 2016, एनसीईआरटी
4. अध्यापक शिक्षा की शोध पत्रिका, 2015, एनसीईआरटी
5. पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, 2006
6. भटनागर, सुरेश, आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, 2007
7. सक्सेना, पराग, नई शिक्षा पद्धति, 2016

राज्य	बिजली की सुविधा (प्रतिशत)	पुस्तकालय (प्रतिशत)	प्ले ग्राउण्ड	चार दीवारी	सुविधा कम्प्यूटर की
बिहार	22.28	58.86	25.18	37.97	2.37
उत्तर प्रदेश	50.11	74.66	69.27	70.65	6.67
मध्य प्रदेश	11.31	89.20	60.27	35.13	2.90
राजस्थान	19.84	50.27	35.56	66.75	5.91
उत्तराखण्ड	73.55	90.34	55.69	81.69	12.86
झारखण्ड	9.30	91.94	37.17	17.48	3.48
छत्तीसगढ़	66.64	92.68	49.50	58.18	3.02
पं. बंगाल	73.64	75.76	36.85	38.90	4.69
ओडिसा	15.49	89.12	18.79	59.16	3.71
भारत	52.40	79.61	54.14	55.17	10.36

स्रोत: यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) की 2015-16 की रिपोर्ट